

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./166/2024

1. अनुराधा पत्नी स्व ओमप्रकाश उर्फ ओम जाति धोबी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. मनोज पुत्र स्व ओमप्रकाश उर्फ ओम जाति धोबी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. धनराज पुत्र स्व ओमप्रकाश उर्फ ओम जाति धोबी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. पुनम पुत्री स्व ओमप्रकाश उर्फ ओम जाति धोबी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. ताराचन्द्र पुत्र स्व रामचन्द्र जाति धोबी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. कमला देवी पुत्री रामचन्द्र जाति धोबी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।
अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-21.01.2025



- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 536 में दर्ज खसरा नं. 5028 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 5049 रकबा 0.60, खसरा नम्बर 5051 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 5052 रकबा 0.01 और खसरा नम्बर 5053 रकबा 0.78 कुल किता 05 कुल रकबा 1.87 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश नहीं करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़गांव के खाता संख्या 536 संवत् 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 536 में दर्ज खसरा नं. 5028 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 5049 रकबा 0.60, खसरा नम्बर 5051 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 5052 रकबा 0.01 और खसरा नम्बर 5053 रकबा 0.78 कुल किता 05 कुल रकबा 1.87 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका

9
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)